

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर
क्रमांक : एफ 7 (2) ()/राज/सान्याअवि/16/11436

जयपुर, दिनांक : 23-2-2016

अल्पकालीन संशोधित ई-निविदा सूचना क्रमांक 3/2016 में संशोधन सूचना

विभागीय अल्पकालीन संशोधित ई-निविदा सूचना क्रमांक एफ 7 (2) ()/राज/सान्याअवि/16/..... दिनांक 16.2.16 में विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों के लिए वर्ष 2016-17 में लोहे के पलंग (सिंगलबैड, डबल डेकर) की दर निर्धारण हेतु विनिर्माता से ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया द्वारा आमंत्रित ऑन-लाईन निविदा के संबंध में दिनांक 22.2.2016 को आयोजित प्री-बिड बैठक में चर्चा उपरान्त ई-निविदा सूचना 3/2016 में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया :

1. राजस्थान में स्थापित लघु उद्योग ईकाइयों के लिए निर्धारित धरोहर राशि एवं अन्य शुल्कों में नियमानुसार रियायत दिया जाना।
2. परिशिष्ट-द में अंकित ISO-9001/ISO-9002/ISO-9000/ISO-14000 प्रमाण पत्र धारक होने की शर्त को हटाया जाना।
3. तकनीकी बिड परिशिष्ट-अ की क्रम संख्या Xiii (12) (3) में वित्तीय हैसियत के प्रमाण हेतु निविदाकार गत तीन वर्षों में निविदत्त वस्तु या **समकक्ष वस्तु** के टर्न ओवर के लिए एक या एक से अधिक फर्मों के अनुबन्ध के आधार पर फर्मों के सम्मिलित कुल टर्न ओवर को टर्न ओवर माना जाना।

(अम्बरीष कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

जयपुर, दिनांक : 23-2-2016

क्रमांक : एफ 7 (2) ()/राज/सान्याअवि/16/11437-51

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. वित्तीय सहायक, मुख्यावास।
5. निजी सहायक, अति. निदेशक (SCST) मुख्यावास।
6. संयुक्त निदेशक, देवनाशयण, मुख्यावास।
7. एनालिटिकल कम प्रोग्रामर, मुख्यावास।
8. उप निदेशक (पि.जा.) मुख्यावास।
9. उप निदेशक (राईस), मुख्यावास।
10. अधिशासी अभियन्ता, मुख्यावास।
11. जिला उद्योग अधिकारी (तकनीकी प्रतिनिधि उद्योग विभाग) उद्योग विभाग, जयपुर।
12. सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
13. सहायक लेखाधिकारी -1, मुख्यावास।
14. सहायक लेखाधिकारी -1, राईस, मुख्यावास।
15. कनिष्ठ लेखाकार (देवनाशयण) मुख्यावास।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव